

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 1338

निर्णय दिनांक :- 7/12/21

उनवानी प्रार्थना पत्र :

.....सम्पत.....बनाम तहसीलदार.....इली.....

उपस्थिति :-

.....उत्तरी.....

तहसीलदार.....इली.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी.....सम्पत.....निवासी.....नयाग्राम.....ने प्रशासन गांवों के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.....संजयपुर.....जमाबंदी सम्बन्ध.....2017 त. 64.....के खाता संख्या.....14.....में दर्ज प्रार्थी का नाम.....

.....पट्टी.....के स्थान पर.....सम्पत.....दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार.....इली.....से कराई गई। तहसीलदार.....इली.....ने पटवार हल्का.....इली.....व भू0अ0नि0.....की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की।

प्रार्थी उपरिथत हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार.....इली.....से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार.....इली.....को वाके ग्राम.....संजयपुर.....जमाबंदी सम्बन्ध.....2017.....के खाता संख्या.....14, 11.....में दर्ज.....सम्पत.....के स्थान पर.....सम्पत.....

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार.....इली.....को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल क्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, केम्प7/12/2021.....में सुनाया गया।

.....उत्तरी.....

उपखण्ड अधिकारी
देवली